भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1785

(जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मई, 2016 को दिया गया)

<u>वैश्विक लेखा परीक्षा फर्मो द्वारा यू बी ग्रुप की फर्मों की लेखापरीक्षा</u>

1785. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सत्यम के वित्तीय कदाचारों के काफी बाद, सरकार और उसके विनियामक विगत कुछ वर्षों के दौरान पीडब्ल्यूसी, ग्रान्ट थॉर्नटन, डेलियट एलएलपी और वॉकर चैन्डीओइक एंड कम्पनी जैसे वैश्विक लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा यू बी ग्रुप ऑफ कम्पनीज के मूल्यांकन, लेखा परीक्षा और पर्याप्त निगरानी के संबंध में उत्सुक हो गए है;
(ख) क्या अब किंगफिशर/यू बी ग्रुप को ऋण देने वाले ऋणदाताओं ने उक्त लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा यू बी ग्रुप की लेखा परीक्षा में की गई त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है और गंभीर धोखाधड़ी जांच अधिकारी (एसएफआईओ) द्वारा इसकी जांच की जा रही है; और
(ग) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): एसएफआईओ द्वारा कंपनियों के कार्यों की जांच करते समय यदि लेखापरीक्षकों की ओर से पेशेवर दुराचार पाया गया तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित नियामक निकायों के समक्ष शिकायत दर्ज की जाती है।

(ख) और (ग): एसएफआईओ वर्तमान में किंगफिशर एयरलाईन्स की जांच कर रहा है। चूंकि जांच कार्य प्रगति पर है, अतः इस स्थिति में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

*****